अ हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
28/03/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलायं की बहस के पश्चात दस्तगत प्रकरण में जाहिर है कि प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता श्री नरपतसिंह बरवा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र O-7, R-11 CPC के माध्यम से दलील दी जा रही है कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि दिनांक 20-12-1982 को स्वयं के द्वारा खरीद की गई थी जिस भूमि को प्रतिवादी ने कोब दो वर्ष पहले बेचान कर खरीददार को कब्जा सुपुर्द कर दिया है प्रतिवादी के कोई पुत्र संतान नहीं होने से अपनी दोनों पुत्रियों के हक में रहवासीय मकान का बेचान हस्तांतरण करने तथा वादी की इच्छानुसार वादी के पुत्र को गोद नहीं लेने से नाराज होकर प्रतिवादी को तंग व परेशान करने की नियत से वाद किया है वादी द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त कराये जाने बाबत कोई सिविल कार्यवाही नहीं करते हुये उक्त झूठा मुकदमा पेश किया है जो वाद हेतुक के अभाव में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने की दलील दी। इसके खण्डन के तौर पर वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड द्वारा दलील दी जा रही है कि प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी दिनांक 20-12-1982 को खरीद करने का कथन गलत है जबकि वादी मांगीलाल द्वारा स्वयं विनियोजित करने से आधा हिस्सा वादी को देना प्रतिवादी ने मंजूर किया था लेकिन प्रतिवादी अपनी शादीशुदा बेटियों के बहकावे में आकर वादी के साथ अन्याय करने पर तुला हुआ है वादग्रस्त भूमि में वादी स्वयं द्वारा विनियोजन करने से वादी व प्रतिवादी का 1/2, 1/2 हिस्सा आता है उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	जिसके लिये वादी द्वारा उक्त वाद पेश किया है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O-7, R-11 CPC गलत आधारों पर प्रस्तुत करने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी। उभय पक्ष वकलाय की बहस के पश्चात हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम इंगली के खसरा नम्बर 430 रकबा 0.42 हैक्टर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार प्रतिवादी अमराराम पुत्र जेठाराम के खातेदारी में दर्ज है तथा प्रस्तुत बेचान रजिस्ट्री दिनांक 20-12-1982 के अनुसार गत खसरा नम्बर 258 मीन रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा के खातेदार जुझारनाथ पुत्र मेघनाथ जोगी द्वारा वर्णित भूमि का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी अमराराम को बेचान करना भी प्रमाणित है जिस तथ्य को दोनों पक्षों के अधिवक्ता भी स्वीकार करते है। प्रतिवादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का बेचान अनन्य व्यक्तियों को करने से नामान्तरकरण संख्या 523 दिनांक 05-02-2021 से वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 430 के खातेदार डुंगाराम व सवाराम पुत्र हिन्दुराम जाति मेघवाल निवासी कुडाला खातेदार दर्ज है वादी ने अपने वाद में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 को सगा भाई होना तथा भूमि खरीद के समय वादी द्वारा राशि विनियोजन करने के तथ्य उक्त वर्णित किये है परंतु इसका कोई अभिलेखीय साक्ष्य मौजूद नही है इस प्रकार वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 01 की खरीदशुदा खातेदारी भूमि रही है तथा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा भूमि का बेचान कर देने से वर्तमान में रेकर्ड में दर्ज खातेदार डुंगाराम पुत्र दुदाराम व सवाराम पुत्र हिन्दुराम को प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना वादी का वाद चलने योग्य

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

है। इस प्रकार वादी के उक्त वाद में वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने तथा पक्षकारों के असंयोजन की वजह से वादी का वाद चलने योग्य नहीं है जिससे प्रार्थना पत्र 0-7, R-11 CPC स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है प्रार्थना पत्र 0-7, R-14 CPC के माध्यम से अधिवक्ता वादी द्वारा अन्य आबादी में स्थित प्लॉट के विवाद बाबत सिविल कोर्ट द्वारा पारित स्थगन आदेश को उक्त राजस्व वाद में बतौर साक्ष्य प्रदर्श लगाये जाने की मांग की जा रही है। आबादी में स्थित प्लॉट का स्थगन का उक्त राजस्व भूमि से कोई सरोकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र 0-7, R-14 CPC भी खारिज योग्य है। विधि अनुसार प्रार्थना पत्र 0-7, R-11 स्वीकार किये जाने के पश्चात 0-7, R-14 CPC के प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहता है। उक्त विवेचन से वादी के उक्त वाद में वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने तथा पक्षकारों के असंयोजन की वजह से वाद चलने योग्य नहीं है। लिहाजा प्रार्थना पत्र 0-7, R-11 CPC स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा ग्राम इंगली स्थित भूमि खसरा नंबर 430 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल के 1/2 हिस्सा के संबंध में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 RTA 1955 खारिज किया जाता है। सी कॉस्ट डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास **सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.**

वादी :–
मांगीलाल पुत्र जेठारामजी जाति सरगरा
निवासी डूंगली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादी :–
1. अमराराम पुत्र जेठारामजी जाति सरगरा निवासी डूंगली तहसील बाली
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 09/2021 Gcms No. 2021/19
वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण वादी द्वारा ग्राम डूंगली में स्थित भूमि खसरा नंबर 430 रकबा 0.42 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल के 1/2 हिस्सा के संबंध में वाद वादी अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा मूर्तिब हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28-3-23 को जारी किया गया।

मोहर

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner